

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ खंडपीठ****आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 2291/2026**

राजीतराम

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव, गृह विभाग, लखनऊ

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : श्री शशि सौरभ तिवारीविपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता
-----**न्यायालय संख्या - 13****माननीय न्यायमूर्ति मनीष कुमार**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय सूचनाकर्ता के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र के माध्यम से आवेदक द्वारा, पुलिस थाना- कोतवाली नगर, जिला- गोंडा में पंजीकृत वाद अपराध संख्या 127/2026, जो कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 69, 351(3) एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(ड) के अंतर्गत दर्ज है, के वाद में विचारण के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

3. वाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 09.02.2026 को सूचनाकर्ता द्वारा आवेदक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 69, 351(3) एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(ड) के अंतर्गत एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि आवेदक पिछले एक वर्ष से विवाह का झूठा वचन देकर उसकी लज्जा भंग कर रहा था और जब उसे ज्ञात हुआ कि आवेदक पहले से ही विवाहित है, तो उसने दूरी बना ली और वर्ष 2025 में विवाह कर लिया। आवेदक ने शिकायतकर्ता की आपत्तिजनक तस्वीरें भेजना शुरू कर दिया।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि सूचनाकर्ता 36 वर्षीय महिला है और संभवतः उसका विवाह वर्ष 2006 में सुनील कुमार नामक व्यक्ति के साथ हुआ था क्योंकि वर्ष 2012 में तैयार किए गए मतदाता पहचान पत्र में शिकायतकर्ता को सुनील कुमार की पत्नी के रूप में दर्शाया गया था। आवेदक के दो बच्चे हैं जिनकी आयु क्रमशः 12 वर्ष और 8 वर्ष है। शिकायतकर्ता विवाहित है और भली-भांति जानती है कि एक विवाहित महिला होने के नाते, वह अपने पति से विवाह-विच्छेद लिए बिना आवेदक से विवाह नहीं कर सकती है।

5. यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह जेल में निरुद्ध है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय सूचनाकर्ता के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, परंतु वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क का खंडन करने में असमर्थ हैं, जो मुख्य रूप से यह है कि शिकायतकर्ता एक विवाहित महिला है जिसके दो बच्चे हैं।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और वाद की पत्रावली का अनुशीलन करने के पश्चात, प्रथम दृष्टया, यह प्रतीत होता है कि सूचनाकर्ता का विवाह वर्ष 2006 में हुआ था और उसके दो बच्चे हैं। एक विवाहित और वयस्क महिला होने के नाते, उसे यह अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि विवाह-विच्छेद प्राप्त किए बिना, वह आवेदक से विवाह नहीं कर सकती थी, अतः यह एक उपयुक्त वाद है जिसमें आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

8. तदनुसार, वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

9. आवेदक **राजीतराम** को उपर्युक्त अपराध संख्या में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगा।

(ii) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय सूचनाकर्ता के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(iii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षी(साक्षियों) पर दबाव नहीं बनाएगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।

(iv) आवेदक कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

(v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(vi) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

(vii) जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तो आवेदक साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा।

(viii) आवेदक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

10. यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होता है, तो विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर विधि के अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय सूचनाकर्ता के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

11. चूंकि यह आदेश आवेदक को जमानत पर रिहा करने से संबंधित है, अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का वाद के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और विचारण न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति मनीष कुमार)

31 मार्च, 2026

एस. कुमार

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय सूचनाकर्ता के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।